दि- 10/4/2016 चिरंजीलाल v/s रामस्वरूप

6/7/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व वकील प्रत्यर्थी की बहस पर सुनी गई। पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया। पत्रावली का मय फलवा अवलोकन किया गया। फलवा के निस्तारण तक निर्धारित आराजीयात की रोशनी में आगे रखना उचित समझते हैं ताकि वाद बाहुल्यता ना बढ़े। अतः अर्थी का प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर दिनांक 28/12/16 को जारी मेटरिक अस्थाई निषेधाज्ञा की कालमी किया जाकर प्रत्यर्थी को तालेदला फलवा पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 172 रकबा 0.24 है० वाके ग्राम हीरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के रिमार्क व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर डिक्री नवीसी कर होकर डाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 6/7/23 को लिखाया जाकर दरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय